न्यायालय:– विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण)
(अपर सेशन न्यायाधीश), रावतसर, जिला–हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – **राजन खत्री,**
(RJS, DJ Cadre)
जमानत आवेदन सी.आई.एस. संख्या – 175/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 329/2026 पुलिस थाना रावतसर

अपराध अंतर्गत धारा – 8/18, 29, एन.डी.पी.एस. एक्ट

कैलाशचन्द्र पुत्र शम्भूलाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी पाचुंदा, पुलिस थाना बेंगू, जिला चितौड़गढ़।

–– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए विशिष्ट लोक अभियोजक, रावतसर।

––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0 ना0 सु0 सं0

उपस्थिति:–
01. श्री लीलाधर शर्मा, अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
02. श्री उमेश कुमार शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

– आदेश– **दिनांक:– 29–06–2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस सुनी गई।
2. जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी का प्रकरण की बरामदगी से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया ऐसा कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है, जिसमें सजा का प्रावधान आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड हो। मुकदमा हाजा की सुनवाई में लम्बा समय लगेगा। प्रार्थी के जमानत पर रिहा होने से भागने व गवाहान पर प्रभाव डालने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी दिनांक 14–06–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके सामाजिक व पारिवारिक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। प्रार्थी परिवार में अकेला कमाने वाला है। प्रार्थी के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार का भरण–पोषण नहीं हो सकेगा। प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अपनी मौतबीर

जमानत पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

3. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है, इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।
4. उभय पक्षकारान के उक्त तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
5. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 14–06–2026 को वक्त 11.35 ए.एम. पर वाके स्थान सड़क आम रावतसर से पल्लू पर चक 29 डी.डब्ल्यू.डी. बस अड्डा से थोड़ी दूर अभियुक्त के कब्जे से **कुल 101 ग्राम अफीम** पुलिस ने बरामद किया, जिसे रखने का उसके पास कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं था, आदि तथ्यों की फर्द बरामदगी के आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अनुसंधान जारी है। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है–

Sr. No.	FIR No. & Police Station	Under Section	Status
1.	155/10, बैंगु चितोड़गढ़	447, 427, भा.दं.सं.	चालान
2.	67/15, रतनगढ़ नीचम	323, 394, 506, 34, भा.दं.सं.	चालान
3.	186/18	498 ए भा.दं.सं.	चालान
4.	155/24	8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट	चालान

6. उभयपक्षों के तथ्यों के प्रकाश में केस डायरी का अवलोकन किये जाने पर यह जाहिर होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त विरूद्ध पुलिस ने अब तक अपने अनुसंधान में **धारा 8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट** का अपराध प्रमाणित माना है। प्रकरण में अभियुक्त के कब्जा से **कुल 101 ग्राम अफीम** बरामद किए जाने का तथ्य प्रथमदृष्ट्या प्रकट आया है। प्रार्थी/अभियुक्त लगातार **दिनांक 14–06–2026** से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कोई अनुसंधान व बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में चार प्रकरण दर्ज है, परन्तु

दोषसिद्धि बाबत् रिकॉर्ड अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना उक्त प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– आदेश–

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **कैलाशचन्द्र** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483, भा.ना.सु.सं. स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **₹50,000/–** रुपये का स्वयं का मुचलका व **₹25,000–₹25,000/–** की 2 सुदृढ़ जमानतें इस न्यायालय के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे कि वह आदेशानुसार नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष हाजिर होता रहेगा, किसी प्रकार के कोई अपराध नहीं करेगा एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा तो अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जाए।

(राजन खत्री)
विशिष्ट न्यायाधीश
(एन.डी.पी.एस. प्रकरण)
(अपर सेशन न्यायाधीश)
रावतसर, जिला–हनुमानगढ़

8. आदेश आज दिनांक 29–06–2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(राजन खत्री)
विशिष्ट न्यायाधीश
(एन.डी.पी.एस. प्रकरण)
(अपर सेशन न्यायाधीश)
रावतसर, जिला–हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.30 10:51:42 IST